



# पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़


(छ,ग, शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी - बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ,ग.) 495009 दूरभाष क्रमांक : (07752) 240715  
[www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in) E-mail-[registrar@pssou.ac.in](mailto:registrar@pssou.ac.in)

## Number of Teachers in position 2020-21

S.No.	Name of Teachers	Department	Post
1	Mr. Kailash Kumar Sahu	Management	Guest Teacher
2	Mr. Suneel Kumar Kurre	Library Science	Guest Teacher
3	Ms. Monika Kispotta	Library Science	Guest Teacher
4	Dr. Priyanka Shriwas	Commerce	Guest Teacher
5	Mrs. Shrishti Tamrakar	Commerce	Guest Teacher
6	Mr. Gopi Krishna Singh	Commerce	Guest Teacher
7	Ms. Rashmi Kori	Commerce	Guest Teacher
8	Dr. Rituraj Trivedi	English	Guest Teacher
9	Dr. Amit Kumar Pandey	Sanskrit	Guest Teacher
10	Dr. Angha Agashe	Education	Guest Teacher
11	Dr. Shyam Singh	Sociology	Guest Teacher
12	Mr. Mukeshwar Sonwani	Sociology	Guest Teacher
13	Mr. Sant Kumar Tiwari	Political science	Guest Teacher
14	Dr. Manoj Tiwari	Maths	Guest Teacher
15	Dr. P.S. Choudhary	Physics	Guest Teacher
16	Ms. Varsha Sinha	Hindi	Guest Teacher
17	Dr. Pooja Yadav	Hindi	Guest Teacher
18	Dr. Mordhwaj Tripathi	Commerce	Co-ordinator
19	Dr. Deepak Pandey	Psychology	Co-ordinator
20	Dr. Tanuja Birthare	Law	Co-ordinator
21	Dr. Nilima Tiwari	Botany	Co-ordinator
22	Dr. Anita Pandey	Sociology	Programme Co-ordinator
23	Mr. P. Panduranga	Sociology	Programme Co-ordinator
24	Dr. Ratnakar Pandey	Commerce	Programme Co-ordinator
25	Dr. Rajkumar Jaiswal	Commerce	Programmer Co-ordinator
26	Dr. Shalini Shukla	Library Science	Programme Co-ordinator
27	Mr. Ganesh Gadheval	Sociology	Co-ordinator Assistant
28	Ms. Shweta Kurre	Yog Science	Yog Anudeshak

**VERIFIED**

  
**REGISTRAR**  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

  
**Dr. Beena Singh**  
Incharge NAAC Criteria-II  
PSSOU, CG Bilaspur

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 78 / 30 / 03 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2021

प्रति,

कैलाश कुमल दाट्ट  
s/o-जीवनलाल दाट्ट

विषय - ...पठन...

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रुपये 20800/- (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 04.04.2021 तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार




विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2021

पृ. क्र. 79 / 30 / 03 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

पठन विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 382 / 05 / 04 / 2021

बिलासपुर, दिनांक 05 / 04 / 2021

प्रति,

सुनील कुमार कुर्रे

विषय - सूचालय स्वयं सूचना विज्ञान

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्बन्ध उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूप्य 20800 / - (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिबिहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपका विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाइन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक ..... तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 382 / 05 / 04 / 2021  
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 05 / 04 / 2021

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख  
सूचालय स्वयं सूचना विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीरागढ़, बिलारापुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 378 / 30 / 03 / 2021

बिलासपुर, दिनांक 30/03/2021

प्रति.

Manika Vandana kispotta

विषय - पुस्तकालय स्वतंत्रता दिनांक

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण परामर्श SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
  2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
  3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
  4. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवा के विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
  5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः परतुत करना होगा।
  6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
  7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
  8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति का निरस्त किया जा सकता है।
- आप दिनांक 05/04/2021 तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार  
Manisha

विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक 30/03/2021

पृ. क्र. 379 / 30 / 03 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

Manisha

विभाग प्रमुख

पुस्तकालय स्वतंत्रता दिनांक विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 74 / 30 / 03 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2021

प्रति,

श्री प्रियंका श्रीवास्तव  
D/O- कुलपति चंद्रश्रीवास्तव

विषय - ..... 01/01/21

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 04.04.2021 तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार



विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2021

पृ. क्र. 75 / 30 / 03 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

01/01/21 विभाग

Accepted &  
joined on  
31/3/2021



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 80 / 01 / 04 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 01/04/2021

प्रति,

SRI SHRI TAMPAR

विषय - COMMERCE

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रुपये 20800/- (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यता करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 04/04/2021 तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यता अपनी उपस्थिति देवे अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

पु. क्र. 81 / 01 / 04 / 2021  
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक : 01/04/2021

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

Joining - 1st April 2021

Sri Shri

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 76 / 30 / 03 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2021

प्रति,

श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती  
S/O-लक्ष्मी लाल पटेल

विषय - ..... 01/01/21

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है—

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रुपये 20800 /— (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 04.04.2021 तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार




विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2021

पृ. क्र. 77 / 30 / 03 / 2021  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

01/01/21 विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 107 / 29 / 07 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 29/07/2021

प्रति,

रश्मि कोरी

विषय - ...आविश्य...

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है—

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/— (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 02.08.2021 तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार



विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 108 / 29 / 07 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : /03/2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

आविश्य विभाग





पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर.

Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur

(छ.ग.शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित) कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495009

फोन : 07752-210312, फैक्स : 495009 Website : www.pssou.ac.in, E-mail : registrar@pssou.ac.in

क्रमांक 348/अध्य.हिं./2021

बिलासपुर, दिनांक 30/03/2021

प्रति,

Dr. Rituraj Trivedi

विषय - अंग्रेज़ी

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि. वि. छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय : पूर्ण कालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपर्युक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह 20800/- (रु. बीस हजार आठ सौ मात्र) मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिए रखा जाएगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे एवं लोक-सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको 'लोक-सेवक' नहीं माना जाएगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ के पूर्व आप इस बात का शपथ-पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण-पत्र एवं मानदेय प्रमाण-पत्र की माँग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 01 अप्रैल, 2021 तक मूल प्रमाण-पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,  
30/03/2021  
विभाग प्रमुख

क्रमांक 349/अध्य.हिं./2021

बिलासपुर, दिनांक 30/03/2021

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख



# पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur

(छ.ग.शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित) कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495009

फोन : 07752-210312, फैक्स : 495009 Website : www.pssou.ac.in, E-mail : registrar@pssou.ac.in

क्रमांक 377/अध्य.हिं./2021

बिलासपुर, दिनांक 15/07/2021

प्रति,

**Dr. Amit Kumar Pandey**

क्रांति नगर आर/04, बिलासपुर

विषय - संस्कृत

विषय : पूर्ण कालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपर्युक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह 20800/- (रु. बीस हजार आठ सौ मात्र) मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिए रखा जाएगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएँगे एवं लोक-सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको 'लोक-सेवक' नहीं माना जाएगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ के पूर्व आप इस बात का शपथ-पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण-पत्र एवं मानदेय प्रमाण-पत्र की माँग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 20 जुलाई, 2021 तक मूल प्रमाण-पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

15/07/2021

क्रमांक /अध्य.हिं./2021

बिलासपुर, दिनांक 15/07/2021

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 102 / 32 / 3 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2021

प्रति,

*Dr. Shyam Singh*  
*Sh. Sh. K. Chandra*

विषय - स्तम्भ काप

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध) के रूप में कार्य की अनुमति।

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रुपये 20800/- (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको 'लोकसेवक' नहीं माना जावेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 5-4-2021 तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार

*Sanjiv Kumar*

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 103 / 32 / 3 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

*Received*  
*3/04/2021*  
*Shyam Singh*

*Sanjiv Kumar*  
विभाग प्रमुख

विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शारान के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी विरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 113 / ..... / ..... / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 06/04/2021

प्रति,

Mr. Mukeshwar Sonwani  
Sushri Ramratan Sonwani  
Kurud, Dhamtan

विषय - Sociology

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जाएगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जाएगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी हैरियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जाएगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक ..... तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जाएगा।

WJ  
06/04/2021  
Received

10:30 AM

पृ. क्र. 120 / ..... / ..... / 2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

आदेशानुसार  
Sampat Sonwani  
विभाग प्रमुख  
6-4-21  
10:30 AM

बिलासपुर, दिनांक : 06/04/2021

Sampat  
विभाग प्रमुख  
Sampat Sonwani, विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 100 / 30 / 03 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2021

प्रति,

Mr. Sant Kumar Tewari  
Sh. San Ram Dutt  
Tewari

विषय - राजस्वित्त विभाग

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रुपये 20800/- (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी हेसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको 'लोकसेवक' नहीं माना जावेगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 5-4-2021 तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति दें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार

Ranjit Daxandev

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 101 / 30 / 03 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

Ranjit Daxandev

विभाग प्रमुख

विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 1500/अ.शिक्ष/क.वि/2021

बिलासपुर, दिनांक : 03/03/2021

प्रति,

डा. मनोज कुमार तिवारी

विषय - ...शिक्षित...

...शिक्षित...

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

- उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है--
1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
  2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
  3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
  4. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
  5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
  6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
  7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
  8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
- आप दिनांक 04.04.2021 तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार

*J. Prakash*

विभाग प्रमुख, शिक्षित

बिलासपुर, दिनांक : 03/03/2021

पृ. क्र. 1501/अ.शिक्ष/क.वि/2021  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदयों के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

*J. Prakash*

विभाग प्रमुख

...शिक्षित... विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 1502 /अ.शि/क.वि/2021

बिलासपुर, दिनांक : 31/03/2021

प्रति,

डा पूर्ण सिंह चौधरी  
बिलासपुर

विषय - भौतिकी

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति का निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 04.04.21 तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार

*Drothay*

विभाग प्रमुख, भौतिकी

बिलासपुर, दिनांक : 31/03/2021

पृ. क्र. 1503 /अ.शि/क.वि/2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

*Drothay*

विभाग प्रमुख

भौतिकी विभाग





पण्डित सुन्दरलाल शर्मा ( मुक्त ) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर.

Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur

(छ.ग.शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित) कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495009

फोन : 07752-210312, फैक्स : 495009 Website : www.pssou.ac.in, E-mail : registrar@pssou.ac.in

क्रमांक 346/अध्य.हिं./2021

बिलासपुर, दिनांक 30/03/2021

प्रति,

वर्षा रानी सिन्हा

विषय - हिंदी

C/O आरती उपाध्याय, मकान नं. 54/118 k शांतिविहार कॉलोनी, डंगनिया, रायपुर

विषय : पूर्ण कालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपर्युक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह 20800/- (रु. बीस हजार आठ सौ मात्र) मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकत 177 दिवस के लिए रखा जाएगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएँगे एवं लोक-सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको 'लोक-सेवक' नहीं माना जाएगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ के पूर्व आप इस बात का शपथ-पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण-पत्र एवं मानदेय प्रमाण-पत्र की माँग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 01 अप्रैल, 2021 तक मूल प्रमाण-पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार  
30/03/2021  
विभाग प्रमुख

क्रमांक 347/अध्य.हिं./2021

बिलासपुर, दिनांक 30/03/2021

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

o/c

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर.  
Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur

(छ.ग.शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित) कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495009  
फोन : 07752-210312, फैक्स : 495009 Website : www.pssou.ac.in, E-mail : registrar@pssou.ac.in

क्रमांक 357/अध्य.हिं./2021

बिलासपुर, दिनांक 30/03/2021

प्रति,

पूजा यादव

एलआईजी 16 तुलसी आवास राजकिशोर नगर, बिलासपुर

विषय - हिंदी

विषय : पूर्ण कालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपर्युक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह 20800/- (रु. बीस हजार आठ सौ मात्र) मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकत 177 दिवस के लिए रखा जाएगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएँगे एवं लोक-सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको 'लोक-सेवक' नहीं माना जाएगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ के पूर्व आप इस बात का शपथ-पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण-पत्र एवं मानदेय प्रमाण-पत्र की माँग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 01 अप्रैल, 2021 तक मूल प्रमाण-पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार  
30/03/2021  
विभाग प्रमुख

क्रमांक 357/अध्य.हिं./2021

बिलासपुर, दिनांक 30/03/2021

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

o/c

# प्रो. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 168 /स्था./प्रशा./2021

बिलासपुर, दिनांक : 03/02/2021

## // आदेश //

निम्नलिखित को दिनांक 03.02.2021 से 29.07.2021 तक मानसेवी -आधार पर निश्चित मानदेय पर विश्वविद्यालय में उनके नाम के सम्मुख प्रदर्शित कार्य को करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थाई है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशानहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति 29.07.2021 के पूर्व कभी भी निरस्त की जा सकेगी।

### मुख्यालय

स. क्र.	नाम	सौंपा गया कार्य	विभाग
1	श्री टी. एस. ठाकुर	परीक्षा नियंत्रक	परीक्षा/गोपनीय
2	डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी	समन्वयक (वाणिज्य)	वाणिज्य
3	डॉ. श्रीमती नीलिमा तिवारी	समन्वयक (वनस्पति विज्ञान)	गोपनीय विभाग
4	डॉ. तनुजा बिरथरे	समन्वयक (विधि)	एस.एल.एम. विभाग
5	डॉ. दीपक पाण्डेय	समन्वयक (मनोविज्ञान)	कुलपति सचिवालय
6	श्री विश्वास जलताड़े	समन्वयक	वित्त विभाग
7	श्री ओमप्रकाश गजेन्द्र	समन्वयक	स्था./प्रशा. एवं भण्डार
8	श्री लिनेन्द्र सोनी	समन्वयक	वेब/सर्वर विभाग
9	श्री हरीशचंद्र वैष्णव	समन्वयक	प्रेस एवं एस.एल.एम. विभाग
10	डॉ. श्रीमती शालिनी शुक्ला	कार्यक्रम समन्वयक (पुस्तकालय विज्ञान)	ग्रंथालय
11	श्री पी. पाण्डूरंगा बाबू	कार्यक्रम समन्वयक (समाज शास्त्र)	यांत्रिकी विभाग
12	डॉ. श्रीमती अनिता पाण्डेय	कार्यक्रम समन्वयक (समाज शास्त्र)	गोपनीय विभाग
13	श्री अभिनंदन कर्माकर	कार्यक्रम समन्वयक (शिक्षा)	भण्डार विभाग
14	श्री राजेन्द्र चंद्रवंशी	कार्यक्रम समन्वयक	क्षेत्रीय केन्द्र - जगदलपुर
15	श्रीमती नमिता शर्मा	कार्यक्रम समन्वयक	अकादमी विभाग
16	श्रीमती सोनाली सिंह	कार्यक्रम समन्वयक	रिसेप्शन
17	श्री राकेश मानिकपुरी	कार्यक्रम समन्वयक	वित्त विभाग
18	श्री रत्नाकर पाण्डेय	कार्यक्रम समन्वयक (वाणिज्य)	हॉस्टल पुरुष एवं कैटिन/क्षे.से. प्र. (वित्त)
19	श्रीमती अनिता दुबे	कार्यक्रम समन्वयक	गोपनीय विभाग (डिग्री)

	नाम	सौंपा गया कार्य	विभाग
20	श्री शैलेश बंजारा	कार्यक्रम समन्वयक	वित्त विभाग
21	श्री संतोष कुमार पाण्डेय	कार्यक्रम समन्वयक	गोपनीय विभाग
22	श्री सौरभ वर्तक	कार्यक्रम समन्वयक	परीक्षा विभाग एवं वाहन प्रकोष्ठ
23	श्री प्रवीण शर्मा	कार्यक्रम समन्वयक (शिक्षा)	एम.पी.डी.डी.
24	श्री घनश्याम साहू	कार्यक्रम समन्वयक ×	क्षेत्रीय केन्द्र - जशपुर
25	श्री कपिलदेव पटेल	कार्यक्रम समन्वयक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग
26	श्रीमती सीमा ठाकुर	कार्यक्रम समन्वयक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग
27	सुश्री श्वेता कुर्रे	कार्यक्रम समन्वयक (योग विज्ञान)	योग विज्ञान विभाग
28	श्री एम. सुरेश बाबू	सहा. कार्य. समन्वयक	गोपनीय विभाग
29	श्री भृगु कुमार सिंह	सहा. कार्य. समन्वयक	भण्डार विभाग
30	श्री रामअवतार जायसवाल	सहा. कार्य. समन्वयक	ग्रंथालय
31	श्री प्रकाशचंद तिवारी	सहा. कार्य. समन्वयक	यांत्रिकी विभाग
32	श्री सुरेन्द्र बाजपेयी	सहा. कार्य. समन्वयक	परीक्षा विभाग
33	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता	सहा. कार्य. समन्वयक	स्थापना/प्रशासन
34	श्री मनोज पाण्डेय	सहा. कार्य. समन्वयक	नैक सेल
35	श्री विकास पाण्डेय	सहा. कार्य. समन्वयक	कुलपति सचिवालय
36	श्रीमती एकता श्रीवास्तव	सहा. कार्य. समन्वयक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग
37	श्रीमती सपना साहू	सहा. कार्य. समन्वयक	एस.एल.एम. विभाग
38	श्री डॉंगेश्वर प्रसाद साहू	सहा. कार्य. समन्वयक	गोपनीय विभाग
39	कु. निशा देवी विश्वकर्मा	सहा. कार्य. समन्वयक	गोपनीय विभाग
40	श्रीमती रमा मिश्रा	समन्वय सहायक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग
41	श्री मनोज शर्मा	समन्वय सहायक	वित्त विभाग
42	श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय	समन्वय सहायक	सुरक्षा/हाउस कीपिंग
43	श्री सोमेन त्रिवेदी	समन्वय सहायक	कुलसचिव कार्यालय
44	श्री दीपक सिंह परिहार	समन्वय सहायक	शिक्षा विभाग
45	श्री संदीप सिंह दीक्षित	समन्वय सहायक	गोपनीय विभाग (डिग्री)
46	श्रीमती अमृता भोंई	समन्वय सहायक	कुलसचिव कार्यालय
47	श्री हेमलाल दुबे	समन्वय सहायक	कुलसचिव कार्यालय
48	श्रीमती रसमणी कांत	समन्वय सहायक	अकादमी विभाग
49	श्री बिरीज खाण्डे	समन्वय सहायक	शिक्षा विभाग
50	श्री मालिक राम पटेल	समन्वय सहायक	मनोविज्ञान/योग विज्ञान विभाग
51	श्री रामलला बरेठ	समन्वय सहायक	शिक्षा विभाग
52	श्री पंकज कुमार साव	समन्वय सहायक	यांत्रिकी विभाग
53	श्री सुखदेव यादव	समन्वय सहायक	नैक सेल
54	श्री वासुदेव दुबे	समन्वय सहायक	गोपनीय विभाग
55	श्री मुकेश दुबे	समन्वय सहायक	गोपनीय विभाग

क्र.	नाम	सौंपा गया कार्य	विभाग
56	श्री आबिद अली	समन्वय सहायक	परीक्षा विभाग
57	श्री विजय सिंह चंदेल	समन्वय सहायक	कुलपति सचिवालय
58	श्री कमलेश साहू	समन्वय सहायक	नैक सेल
59	श्री सुशील कुमार मिश्रा	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ
60	श्री संतोष देवांगन	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ
61	श्रीमती पूनम पाण्डेय	समन्वय सहायक	वित्त विभाग
62	श्री विष्णुकांत यादव	समन्वय सहायक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग
63	श्री अनिरुद्ध चौबे	समन्वय सहायक	गोपनीय विभाग
64	श्री शेख मज़हर अली	समन्वय सहायक	स्थापना / प्रशासन
65	श्रीमती सुधा शर्मा	समन्वय सहायक	कम्प्यूटर साइंस विभाग
66	श्री सोहन बरेठ	समन्वय सहायक	नैक सेल
67	श्रीमती संगीता तिवारी	समन्वय सहायक	जनसूचना प्रकोष्ठ
68	श्री राजूराम यादव	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ
69	श्री लक्ष्मीप्रकाश गौर	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ
70	श्री रवि कुमार	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ
71	श्री पवन देव वैष्णव	समन्वय सहायक	हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत विभाग
72	श्री महेन्द्र कश्यप	समन्वय सहायक	यांत्रिकी विभाग
73	श्री राकेश कुमार विश्वकर्मा	समन्वय सहायक	यांत्रिकी विभाग
74	श्री शांतनु पटेल	समन्वय सहायक	कुलपति सचिवालय
75	श्री अखिलेश सनाड्य	सहायक	वित्त विभाग
76	श्रीमती संगीता बड़गैया	सहायक	ग्रंथालय
77	श्री अतुल राज करिहार	सहायक	वित्त विभाग
78	श्री रविशंकर यादव	सहायक	गोपनीय विभाग
79	श्री विनोद कुमार विश्वकर्मा	सहायक	ग्रंथालय
80	श्री लक्ष्मी साहू	सहायक	शिक्षा विभाग
81	श्री शिवनारायण यादव	सहायक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग
82	श्री गुलाब साहू	सहायक	कम्प्यूटर साइंस विभाग
83	श्री छोटेलाल मोहले	सहायक	स्थापना / प्रशासन
84	श्री राजेश कुमार चौहान	सहायक	गोपनीय विभाग
85	श्रीमती प्रीति तिवारी	सहायक	भण्डार विभाग
86	श्रीमती अंजू साहू	सहायक	राजनीति / इतिहास एवं पुस्तकालय विभाग
87	श्री जगदेव बरेठ	सहायक	यांत्रिकी विभाग
88	श्री नंदकिशोर यादव	सहायक	परीक्षा विभाग
89	श्री श्याम कार्तिक सोलंकी	सहायक	भण्डार विभाग
90	श्री अविनाश शर्मा	सहायक	एम.पी.डी.डी.
91	श्री दीपक कुमार दुबे	सहायक	एम.पी.डी.डी.

नाम	सौंपा गया कार्य	विभाग	
56	श्री आविद अली	समन्वय सहायक	परीक्षा विभाग
57	श्री विजय सिंह चंदेल	समन्वय सहायक	कुलपति सचिवालय
58	श्री कमलेश साहू	समन्वय सहायक	नैक सेल
59	श्री सुशील कुमार मिश्रा	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ
60	श्री संतोष देवांगन	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ
61	श्रीमती पूनम पाण्डेय	समन्वय सहायक	वित्त विभाग
62	श्री विष्णुकांत यादव	समन्वय सहायक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग
63	श्री अनिरुद्ध चौबे	समन्वय सहायक	गोपनीय विभाग
64	श्री शेख मज़हर अली	समन्वय सहायक	स्थापना / प्रशासन
65	श्रीमती सुधा शर्मा	समन्वय सहायक	कम्प्यूटर साइंस विभाग
66	श्री सोहन बरेठ	समन्वय सहायक	नैक सेल
67	श्रीमती संगीता तिवारी	समन्वय सहायक	जनसूचना प्रकोष्ठ
68	श्री राजूराम यादव	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ
69	श्री लक्ष्मीप्रकाश गौर	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ
70	श्री रवि कुमार	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ
71	श्री पवन देव वैष्णव	समन्वय सहायक	हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत विभाग
72	श्री महेन्द्र कश्यप	समन्वय सहायक	यांत्रिकी विभाग
73	श्री राकेश कुमार विश्वकर्मा	समन्वय सहायक	यांत्रिकी विभाग
74	श्री शांतनु पटेल	समन्वय सहायक	कुलपति सचिवालय
75	श्री अखिलेश सनाइय	सहायक	वित्त विभाग
76	श्रीमती संगीता बड़गैया	सहायक	ग्रंथालय
77	श्री अतुल राज करिहार	सहायक	वित्त विभाग
78	श्री रविशंकर यादव	सहायक	गोपनीय विभाग
79	श्री विनोद कुमार विश्वकर्मा	सहायक	ग्रंथालय
80	श्री लक्ष्मी साहू	सहायक	शिक्षा विभाग
81	श्री शिवनारायण यादव	सहायक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग
82	श्री गुलाब साहू	सहायक	कम्प्यूटर साइंस विभाग
83	श्री छोटेलाल मोहले	सहायक	स्थापना / प्रशासन
84	श्री राजेश कुमार चौहान	सहायक	गोपनीय विभाग
85	श्रीमती प्रीति तिवारी	सहायक	भण्डार विभाग
86	श्रीमती अंजू साहू	सहायक	राजनीति / इतिहास एवं पुस्तकालय विभाग
87	श्री जगदेव बरेठ	सहायक	यांत्रिकी विभाग
88	श्री नंदकिशोर यादव	सहायक	परीक्षा विभाग
89	श्री श्याम कार्तिक सोलंकी	सहायक	भण्डार विभाग
90	श्री अविनाश शर्मा	सहायक	एम.पी.डी.डी.
91	श्री दीपक कुमार दुबे	सहायक	एम.पी.डी.डी.

	नाम	सौंपा गया कार्य	विभाग
92	श्री प्रदीप कुमार यादव	सहायक	एम.पी.डी.डी.
93	श्री चंद्रशेखर सिंह ठाकुर	सहायक	एम.पी.डी.डी.
94	श्री अमित उपाध्याय	सहायक	एम.पी.डी.डी.
95	श्री सुशील कुमार पाण्डेय	सहायक	जनसूचना प्रकोष्ठ
96	श्री मनमोहन दास मानिकपुरी	सहायक	रिसेप्शन
97	श्री राजेश कुमार मिश्रा	सहायक	गोपनीय विभाग
98	श्री राजेश कुमार वैष्णव	सहायक	प्रेस विभाग
99	श्रीमती बरखा रानी गंगोत्री	सहायक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग
100	श्रीमती अन्नपूर्णा कौशिक	सहायक	ग्रंथालय
101	श्री चंद्रशेखर कौशिक	सहायक	एम.पी.डी.डी.
102	श्री संतोष कुमार पाण्डेय	सहायक	एस.एल.एम. विभाग
103	श्री मनबोध साहू	सहायक	भण्डार विभाग
104	श्रीमती वीणा सिंह	सहायक	परीक्षा विभाग
105	श्री सुभाशिष डे	सहायक	मनोविज्ञान/योग विज्ञान विभाग
106	श्रीमती सुकृता रानी तिवारी	सहायक	परीक्षा विभाग
107	श्री मोतीलाल खैरवार	सहायक	कुलपति सचिवालय
108	कु. माहेश्वरी उइके	सहायक	कुलपति सचिवालय
109	श्री रामनरेश निर्मलकर	सहायक	कुलसचिव कार्यालय
110	श्रीमती भारती दुबे	सहायक	स्थापना/प्रशासन

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक : 03/02/2021

पृ. क्र. 169 /स्था./प्रशा./2021  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. कार्यालय प्रति।

  
कुलसचिव

# पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 167/01 /स्था./प्रशा./2021

बिलासपुर, दिनांक : 03 /02/2021

## // आदेश //

निम्नलिखित को दिनांक 03.02.2021 से 29.07.2021 तक मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय पर विश्वविद्यालय में उनके नाम के सम्मुख प्रदर्शित कार्य को करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थाई है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनीयता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति 29.07.2021 के पूर्व कभी भी निरस्त की जा सकेगी।

### क्षेत्रीय केन्द्र बिलासपुर

स. क्र.	नाम	सौंपा गया कार्य
1	श्री भूपेन्द्र श्रीवास्तव	कार्यक्रम समन्वयक
2	श्री अनिल शर्मा	समन्वय सहायक
3	श्रीमती नीलिमा शर्मा	समन्वय सहायक
4	श्री शम्भू डोंगरे	सहायक

### क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर

5	श्रीमती वर्षा दुबे	कार्यक्रम समन्वयक
6	श्री संजय चंद्राकर	समन्वय सहायक
7	श्री आशीष द्विवेदी	समन्वय सहायक
8	श्री शरद कुमार यादव	समन्वय सहायक
9	श्री संजय अग्रवाल	समन्वय सहायक
10	श्री रामाधीन टेकाम	सहायक (अध्ययन केन्द्र -- रतनपुर)

### क्षेत्रीय केन्द्र दुर्ग

11	डॉ. डी. एन. शर्मा	समन्वयक
12	श्रीमती नीलम सिंह	सहा. कार्य. समन्वयक
13	श्री शिवचरणलाल साहू	समन्वय सहायक
14	श्री उमेश कुमार आंचला	सहायक

### क्षेत्रीय केन्द्र अंबिकापुर

15	श्री राजकुमार जायसवाल	कार्यक्रम समन्वयक
16	श्री श्याम सुन्दर सिंह	समन्वय सहायक
17	श्री विजय कुमार चक्रधारी	समन्वय सहायक
18	श्रीमती सरस्वती	समन्वय सहायक



स. क्र.	नाम	सौंपा गया कार्य
19	श्री जयप्रकाश सोनी	सहायक
20	श्री फूलसाय	सहायक
<b>क्षेत्रीय केन्द्र जशपुर</b>		
21	श्री अजय कुमार पाण्डेय	कार्यक्रम समन्वयक (विश्वविद्यालय मुख्यालय)
22	श्री नेहाल मिंज	समन्वय सहायक
23	श्री रामेश्वर शाडिल्य	सहायक
24	कु. आभा एक्का	सहायक
<b>क्षेत्रीय केन्द्र जगदलपुर</b>		
25	डॉ. एस. पी. तिवारी	समन्वयक
26	श्री रामेश्वर गनवीर	समन्वय सहायक
27	श्रीमती शेख संजीदा	समन्वय सहायक
28	श्री विवेक पाण्डेय	समन्वय सहायक
29	श्री मदनलाल नाग	सहायक

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृ. क्र. 167/02/स्था./प्रशा./2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. कार्यालय प्रति।

बिलासपुर, दिनांक : 03 / 02 / 2021

  
कुलसचिव

# पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

175 / स्था. / प्रशा. / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 06 / 02 / 2021

## // आदेश //

विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र में मानसेवी समन्वय सहायक एवं सहायकों को निश्चित मानदेय पर मानसेवी आधार पर दिनांक 03.02.2021 से 29.07.2021 तक नितांत अस्थाई रूप से कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति पूर्णतः अस्थाई है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति 29.07.2021 के पूर्व कभी भी निरस्त की जा सकेगी।

### अध्ययन केन्द्र

स. क्र.	क्र.	नाम	सौपा कार्य कार्य	अध्ययन केन्द्र
1	1	श्री विजय कृष्ण दुबे	सहा.कार्य. समन्वयक	रतनपुर
2	2	श्री महेन्द्र शर्मा	जिला समन्वयक	कवर्धा
3	3	श्री रामसुजान जायसवाल	समन्वय सहायक	वाङ्गफनगर
4	4	कुमारी साक्षी त्रिपाठी	समन्वय सहायक	भटगांव
5	5	श्री कमल कुमार पटेल	समन्वय सहायक	रायगढ़
6	6	श्री श्याम कुमार पटेल	समन्वय सहायक	रायगढ़
7	7	श्री संतोष निर्मलकर	समन्वय सहायक	पुरसौर
8	8	श्री योगेश कुमार यादव	समन्वय सहायक	सारंगढ़
9	9	श्री हरप्रसाद लहरे	समन्वय सहायक	सारंगढ़
10	10	श्री सचिन कुमार साहू	समन्वय सहायक	जांजगीर
11	11	श्री विपिन बिहारी सिंह	समन्वय सहायक	पामगढ़
12	12	श्री दीपेन्द्र सिंह राजपूत	समन्वय सहायक	बेमेतरा
13	13	श्री शोभाराम जंघेल	समन्वय सहायक	छुईखदान
14	14	श्री सोहन लाल भुआर्य	समन्वय सहायक	मानपुर
15	15	श्री राकेश कुमार डाहिरे	समन्वय सहायक	पंडरिया
16	16	श्रीमती साधना श्रीवास्तव	समन्वय सहायक	जगदलपुर
17	17	श्री कैलाश कश्यप	समन्वय सहायक	सुकमा
18	18	श्री बालकृष्ण उपाध्याय	समन्वय सहायक	तपकरा
19	19	श्री शान्तनु शर्मा	समन्वय सहायक	तपकरा
20	20	श्री संजय कुमार पाण्डेय	समन्वय सहायक	बगीचा
21	21	श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय	समन्वय सहायक	बगीचा
22	22	श्री तापेश्वर राम यादव	समन्वय सहायक	कुनकुरी

स. क्र.	क्र.	नाम	सौपा कार्य कार्य	अध्ययन क
23	23	श्री महेश कुमार	समन्वय सहायक	पत्थलगांव
24	24	श्री जय सिंह	समन्वय सहायक	पत्थलगांव
25	25	श्री ओमप्रकाश ठाकुर	समन्वय सहायक	अंतागढ
26	26	सुश्री सीमा ठाकुर	समन्वय सहायक	केशकाल
27	27	श्री पुन्निलाल धृतलहरे	समन्वय सहायक	चरामा
28	28	श्री उदयन भारती	समन्वय सहायक	महासमुंद
29	29	श्री संतोष कुमार सोनी	समन्वय सहायक	पिथौरा
30	30	श्रीमती संगीता दुबे	समन्वय सहायक	तोकापाल
31	31	श्री राकेश तिवारी	समन्वय सहायक	अंबिकापुर
32	32	श्री धनीराम दुबे	समन्वय सहायक	शंकरगढ
33	33	श्री अनुज कुमार दुबे	समन्वय सहायक	राजपुर
34	34	श्री नीलभास्कर सिंह	समन्वय सहायक	भैयाथान
35	35	श्री विनोद कुमार चौबे	समन्वय सहायक	बैकुण्ठपुर
36	36	श्री अनिल कुमार श्रीवास	समन्वय सहायक	बैकुण्ठपुर
37	37	श्री प्रशांत सोनी	समन्वय सहायक	तखतपुर
38	38	श्री विजय कुमार साहू	समन्वय सहायक	गौरैला
39	39	श्री लूपचंद धृतलहरे	समन्वय सहायक	सारंगढ
40	40	श्री संजय शुक्ला	समन्वय सहायक	सक्ती
41	41	श्री राजेश शर्मा	समन्वय सहायक	खरौद
42	42	मो. साहिर	समन्वय सहायक	दुर्ग
43	43	श्री निरंजन लाल कैवर्त	समन्वय सहायक	धमधा
44	44	श्री अरुण कुमार वैष्णव	समन्वय सहायक	राजनादगांव
45	45	श्रीमती सरिता वैष्णव	समन्वय सहायक	डोंगरगढ
46	46	श्रीमती ममता ठाकुर	समन्वय सहायक	कवर्धा
47	47	श्री मानसिंह महानंदी	समन्वय सहायक	दंतेवाड़ा
48	48	श्री भूरसूराम बघेल	समन्वय सहायक	बीजापुर
49	49	श्री विद्याराम यादव	समन्वय सहायक	कांसाबेल
50	50	श्री अनिल पाण्डेय	समन्वय सहायक	धरमजयगढ
51	51	श्री पुरंजय पाण्डेय	समन्वय सहायक	धरमजयगढ
52	52	श्री परीक्षित साहू	समन्वय सहायक	कांकेर
53	53	श्री सुधान्यु मण्डल	समन्वय सहायक	बांदे
54	54	श्री रमेश कुमार पाटिल	समन्वय सहायक	कोण्डागांव
55	55	श्री अरुण कुमार शुक्ला	समन्वय सहायक	नारायणपुर
56	56	श्री रूपेश तिवारी	समन्वय सहायक	बलौदाबाजार
57	57	श्री प्रमोद मिश्रा	समन्वय सहायक	भैरमगढ
58	58	श्री अवधेश कुमार साहू	समन्वय सहायक	कसडोल
59	59	श्री हीरामन सिंह केराम	समन्वय सहायक	राजिम
60	60	श्री राकेश कुमार साहू	समन्वय सहायक	धमतरी

क्र.	नाम	सौपा कार्य कार्य	अध्ययन केन्द्र
61	श्री सोमनाथ चक्रधारी	समन्वय सहायक	नगरी
62	श्री राम कुमार जयसवाल	समन्वय सहायक	जैजैपुर
63	श्री शिवराम कश्यप	समन्वय सहायक	तोकापाल
64	श्री उत्तम कुमार दुबे	समन्वय सहायक	गेवरा
65	कु. बेदमती गोयन	समन्वय सहायक	भैयाथान
66	श्री धनाजी राम रावटे	समन्वय सहायक	डौण्डीलोहारा
67	श्री लक्ष्मण सिंह बोगा	समन्वय सहायक	मोहला
68	श्री सुनील कुमार पाण्डेय	समन्वय सहायक	लैलूंगा
69	श्री बीर सिंह नेताम	समन्वय सहायक	फरसगांव
70	श्री गोविंद नारायण डाहिरे	समन्वय सहायक	सिमगा
71	श्री गणेश कुमार गढ़वाल	समन्वय सहायक (समाज शास्त्र)	कोरबा
72	श्री राजेश कुमार सक्सेना	समन्वय सहायक	कोरबा
73	श्री सुशील कुमार देवांगन	समन्वय सहायक	जैजैपुर
74	श्री सुभाष चंद यादव	समन्वय सहायक	रामानुजगंज
75	श्री सत्यनंद पाण्डेय	समन्वय सहायक	प्रतापपुर
76	श्री विनोद कुमार द्विवेदी	समन्वय सहायक	कोरबा
77	श्री मुकेश सिंह चंदेल	समन्वय सहायक	मस्तुरी
78	श्री अजीत कुमार सनम	समन्वय सहायक	नवागढ़
79	श्री प्रतापभानू शर्मा	समन्वय सहायक	लोरमी
80	श्री आकाश शर्मा	समन्वय सहायक	पुसौर
81	श्री धर्मेन्द्र प्रकाश तिवारी	समन्वय सहायक	थानखम्हरिया
82	श्रीमती सविता तिवारी	समन्वय सहायक	सरगांव
83	1 श्री विक्रान्त पाण्डेय	सहायक	भटगांव
84	2 श्री संतोष कुमार राठौर	सहायक	जांजगीर
85	3 श्री शरद कुमार श्रीवास	सहायक	पामगढ़
86	4 श्री भेकदास धलेन्द्र	सहायक	अंबागढ़ चौकी
87	5 श्री दीपक चन्द्राकर	सहायक	महासमुंद
88	6 श्रीमती विनीता दुबे	सहायक	राजपुर
89	7 श्री रामशरण पैकरा	सहायक	सोनहत
90	8 श्री अमित कुमार वर्मा	सहायक	कटघोरा
91	9 श्री पंकज कुमार गौरहा	सहायक	बलौदा
92	10 श्री श्याम सुन्दर तिवारी	सहायक	साजा
93	11 श्री मिथिलेश कुमार साहू	सहायक	गुण्डरदेही
94	12 श्री अशोक कुमार नायक	सहायक	डोंगरगांव
95	13 श्री लोकचंद वर्मा	सहायक	छुईखदान
96	14 श्री भोजराम साहू	सहायक	राजनांदगांव
97	15 श्री उज्ज्वल शर्मा	सहायक	डोंगरगांव
98	16 श्री टेकराम वर्मा	सहायक	खैरागढ़

स. क्र.	क्र.	नाम	सौपा कार्य कार्य	अध्ययन क
99	17	श्री मनोज तिवारी	सहायक	पांडातराई
100	✓18	श्री बालकेश्वर राव	सहायक	कांसाबेल
101	✓19	श्री सतीश सिंहा	सहायक	कांकेर
102	20	श्री बाबूलाल कोठारी	सहायक	भानुप्रतापपुर
103	✓21	श्री मेखराम भुआर्य	सहायक	भाटापारा
104	22	श्री पवन कुमार साहू	सहायक	कसडोल
105	23	श्री आशीष कुमार आर्मा	सहायक	कुरुद
106	✓24	श्री रामप्रसाद नापित	सहायक	भैयाथान
107	25	श्री कौशल प्रसाद साहू	सहायक	गौरेला
108	26 ✓	श्रीमती रजनी देवी चौहान	सहायक	रायगढ़
109	27	श्री मधुसूदन ठाकुर	सहायक	कवर्धा
110	28	श्री लव सिंह मरावी	सहायक	केशकाल
111	29	श्री कमल किशोर कौशिक	सहायक	सिमगा
112	30	श्री भागबली जायसवाल	सहायक	लोरमी
113	31 ✓	श्रीमती शीला पाठक	सहायक	कोटा
114	32	श्री अमित सेन	सहायक	गौरेला
115	33	श्री दीपक कुमार तिवारी	सहायक	दीपका--गेवरा
116	34	श्री राजपाल मोहले	सहायक	मुंगेली
117	35	श्री इतवार सिंह	सहायक	कटघोरा
118	36	श्री भागबली कुंजाम	सहायक	डौण्डीलोहारा

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृ. क्र. 176 /स्था./प्रशा./2021

बिलासपुर, दिनांक : 04 /02/2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय समन्वयक बिलासपुर/रायपुर/दुर्ग/अंबिकापुर/जशपुर/जगदलपुर/कांकेर को सूचनार्थ एवं अध्ययन केन्द्रों में आदेश पालन की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कार्यालय प्रति।

  
कुलसचिव